प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ,दिनांक: 09 जनवरी, 2026

विषय:- जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विवेक कुमार शर्मा उर्फ पप्पन पुत्र स्व0 लालजी, निवासी जनपद-बाराबंकी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-30396/प्रो०अनु०(2)-06/2024(बैठक दिनांक-03.10.2024) दिनांक-08-10-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विवेक कुमार शर्मा उर्फ पप्पन पुत्र स्व0 लालजी, जो ग्राम-रामपुर, थाना-मोहम्मदपुर खाला, जनपद-बाराबंकी का निवासी है। वादी की पुत्री के गर्भ होने की सूचना पर उसकी ससुराल वाले मारपीट कर मायके छोड़ जाने के उपरान्त आपरेशन द्वारा पुत्री होने के उपरान्त पुनः ससुराल वापस जाने पर दिनांक 28.09.2016 को बंदी ने दहेज में कार की मांग के कारण प्रताडित कर अपनी पत्नी को जलाकर मार दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस0टी0 नं0-24/2017, भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए व 04 डी०पी० एक्ट में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी० कोर्ट नं0-36, बाराबंकी के आदेश दिनांक 05.11.2022 द्वारा 14 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.09.2024 तक अपरिहार 07 वर्ष, 11 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 03 माह, 26 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, पुनः अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने एवं बंदी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी दिनांक 28.09.2016 को बंदी ने दहेज में कार की मांग के कारण प्रताडित कर अपनी पत्नी को जलाकर मार दिया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी द्वारा पुनः अपराध की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने एवं बंदी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विवेक कुमार शर्मा उर्फ पप्पन पुत्र स्व० लालजी को फार्म-ए लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विवेक कुमार शर्मा उर्फ पप्पन (बन्दी संख्या-321/2022) पुत्र स्व0 लालजी, निवासी जनपद-बाराबंकी को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-21/2026/1712(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बाराबंकी।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-21/2026/1712/22-2-2024-17(751)/2025

दिनांक: 09 जनवरी, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विवेक कुमार शर्मा उर्फ पप्पन पुत्र स्व0 लालजी, जो ग्राम-रामपुर, थाना-मोहम्मदपुर खाला, जनपद-बाराबंकी का निवासी है। वादी की पुत्री के गर्भ होने की सूचना पर उसकी ससुराल वाले मारपीट कर मायके छोड़ जाने के उपरान्त आपरेशन द्वारा पुत्री होने के उपरान्त पुनः ससुराल वापस जाने पर दिनांक 28.09.2016 को बंदी ने दहेज में कार की मांग के कारण प्रताडित कर अपनी पत्नी को जलाकर मार दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस0टी0 नं0-24/2017, भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए व 04 डी०पी० एक्ट में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी० कोर्ट नं0-36, बाराबंकी के आदेश दिनांक 05.11.2022 द्वारा 14 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.09.2024 तक अपरिहार 07 वर्ष, 11 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 03 माह, 26 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, पुनः अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने एवं बंदी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी दिनांक 28.09.2016 को बंदी ने दहेज में कार की मांग के कारण प्रताडित कर अपनी पत्नी को जलाकर मार दिया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी द्वारा पुनः अपराध की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने एवं बंदी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विवेक कुमार शर्मा उर्फ पप्पन पुत्र स्व० लालजी को फार्म-ए लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।